

उत्तर प्रदेश शासन
नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग
संख्या-744/2015/1793/69-1-2015-14(59)/2015
लखनऊ : दिनांक : 14 अगस्त, 2105
कार्यालय ज्ञाप

भारत सरकार आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा 30प्र0 सहित 05 राज्यों में स्लम में रहने वाले लोगों के लिए वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक 5 वर्षों के लिए जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) की रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए स्वच्छ जलापूर्ति की योजना क्रियान्वित की गयी है। उक्त योजना के अन्तर्गत वर्ष 2015-16 से 2016-17 तक 2 वर्षों के लिये उत्तर प्रदेश के चयनित 10 जनपदों यथा आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर की 17 नगर निकायों की मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति किए जाने हेतु योजना आरम्भ की गयी है। इन नगर निकायों में पेयजल आपूर्ति हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं में 75 प्रतिशत वित्त पोषण केन्द्र सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत धनराशि की व्यवस्था राज्यांश के रूप में राज्य सरकार द्वारा की जायेगी। योजनान्तर्गत निम्न नगर निकायों को आच्छादित किया गया है:-

क्र0 सं0	जनपद	नगर निकाय
1	आजमगढ़	1. मुबारकपुर
2	बहराइच	2. बहराइच
		3. नानपारा
		4. रिसिया
3	बलरामपुर	5. नोटिफाइड एरिया तुलसीपुर
		6. नोटिफाइड एरिया पचपेड़वा
4	बस्ती	7. बस्ती
5	देवरिया	8. देवरिया
6	गोरखपुर	9. गोरखपुर नगर निगम
		10. सहजनवा
7	कुशीनगर	11. पडरौना
8	महाराजगंज	12. महाराजगंज
		13. नौतनवां
9	संतकबीरनगर	14. नगर पालिका परिषद, खलीलाबाद
		15. नगर पंचायत, हरिहरपुर
		16. मेंहदावल
10	सिद्धार्थनगर	17. नौगढ़

3- उक्त योजना के क्रियान्वयन तथा निगरानी के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्नानुसार राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति गठित की जायेगी:-

1.	प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, 30प्र0 शासन।	अध्यक्ष
2.	प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, 30प्र0 शासन।	सदस्य
3.	प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, 30प्र0 शासन।	सदस्य
4.	निदेशक, स्थानीय निकाय	सदस्य
5.	मुख्य अभियन्ता, नगर विकास विभाग	सदस्य
6.	नगर आयुक्त/अधिशाली अधिकारी, सम्बन्धित नगर निकाय	सदस्य
7.	राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी के मुख्य कार्यपालक अधिकारी	सदस्य

राज्य सरकार द्वारा उक्त समिति का अध्यक्ष किसी अन्य को भी नामित किया जा सकता है तथा अन्य विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव को भी आवश्यकतानुसार समिति में सदस्य नामित किया जा सकता है।

4- राज्य सरकार राजीव आवास योजना हेतु नामित राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी अथवा किसी संस्था को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी नामित कर सकती है। प्रश्नगत योजना से सम्बन्धित स्थानीय निकाय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी को उपलब्ध करायेगी, जिसका परीक्षण/अनुमोदन राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति करेगी। उक्त समिति यह भी सुनिश्चित करेगी कि प्रस्तावित परियोजना केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा संचालित कतिपय अन्य योजनाओं के अन्तर्गत जलापूर्ति हेतु आच्छादित तो नहीं है। राज्य स्तरीय स्वीकृति समिति के अनुमोदनोपरान्त नोडल एजेन्सी द्वारा अप्रेजल एजेन्सी के माध्यम से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार को डी0पी0आर0 उपलब्ध करायी जायेगी।

5- योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है:-

(1) जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) से प्रभावित मलिन बस्तियों का चिन्हांकन करते समय यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वहां विद्यमान जलापूर्ति व्यवस्था सभी आवासों के लिए समुचित एवं पर्याप्त है अथवा नहीं।

(2) योजनान्तर्गत चिन्हित नगर निकायों में चयनित मलिन बस्तियों की क्षेत्रीय स्थिति एवं वहां पहले से उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति के लिए परियोजना तैयार की जायेगी। जलापूर्ति की आवश्यकता का आंकलन वर्तमान में हो रही आपूर्ति की कमी को ध्यान में रखते हुए भविष्य की मांग के आधार पर किया जायेगा। मलिन बस्ती के प्रत्येक हाउस-होल्ड को मीटर युक्त पेयजल

का कनेक्शन दिया जायेगा, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि उक्त मलिन बस्ती में किसी अन्य योजना के अन्तर्गत पेयजल आपूर्ति का कार्य प्रस्तावित नहीं है।

(3) मलिन बस्ती में जलापूर्ति की व्यवस्था को पूरे शहर की जलापूर्ति की व्यवस्था से लिंक करते हुए डी0पी0आर0 तैयार की जायेंगी। चयनित मलिन बस्तियों में जलापूर्ति की व्यवस्था किये जाने की दशा में शहर की विद्यमान जलापूर्ति व्यवस्था उक्त बढ़ी हुई आपूर्ति को वहन करने के लिए सक्षम है अथवा नहीं इसको ध्यान में रखते हुए यथावश्यक व्यवस्था की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डी0पी0आर0) बनाने हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा। उक्त दिशा-निर्देश भारत सरकार, आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वेबसाइट <http://mhupa.gov.in/> पर उपलब्ध है।

(4) योजनान्तर्गत भारत सरकार व राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्त पोषण किया जायेगा। योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा प्रदेश के लिए केन्द्रांश के रूप में ₹0 1782.78 लाख (75 प्रतिशत) आवंटित किया गया है। प्रदेश सरकार द्वारा उक्त धनराशि का 25 प्रतिशत अर्थात् 594.20 लाख राज्यांश के रूप में वहन किया जाएगा। उक्त राज्यांश की धनराशि योजना की शेष अवधि वित्तीय वर्ष 2015-16 2016-17 (दो वर्षों) में केन्द्रांश के सापेक्ष किशतों में स्वीकृत की जाएगी। केन्द्रीय स्वीकृति एवं अनुश्रवण समिति (सी0एस0एम0सी0) द्वारा परियोजना की स्वीकृति के उपरान्त पहली किशत जारी की जायेगी। केन्द्रांश व तत्सापेक्ष राज्यांश के 70 प्रतिशत उपभाग के उपरान्त द्वितीय किशत जारी की जायेगी। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त अंतिम किशत निर्गत की जायेगी। "आपरेशन एण्ड मेन्टीनेंस" उपरोक्तानुसार वर्णित प्रत्येक किशत के साथ-साथ जारी की जायेगी। अनुश्रवण हेतु धनराशि कॉर्पस फण्ड के रूप में उपयोग की जायेगी तथा स्थानीय निकाय के स्तर पर संरक्षित की जा सकती है।

6- राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी व भारत सरकार तथा राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी व स्थानीय निकाय के बीच अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया जायेगा।

7- कार्यदायी संस्था द्वारा संचालित परियोजनाओं की गुणवत्ता की "मानीटरिंग" टी0पी0आई0एम0ए0 (TPIMA) के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा करायी जायेगी।

8- जापानी इन्सैफ्लाइटिस (जे0ई0) तथा एक्यूट इन्सैफ्लाइटिस सिंड्रोम (ए0ई0एस0) की रोकथाम के लिये मलिन बस्तियों में पेयजल आपूर्ति की उक्त योजना के लिए राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) को राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी (एस0एल0एन0ए0) नामित किया जाएगा।

9- योजनान्तर्गत अनुदान संख्या-83 से स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का व्यय/उपयोग, योजना आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जायेगा।

10- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त दिशा-निर्देशों के अनुसार नामित राज्य स्तरीय नोडल एजेन्सी द्वारा समयबद्ध रूप से अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव।

संख्या-744/2015/1793(I)/69-1-2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, 20, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, छांटा तल, संगम प्लेस, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद।
4. आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
5. प्रमुख सचिव, वित्त, नियोजन, समाज कल्याण, नगर विकास तथा चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मण्डलायुक्त, गोरखपुर, आजमगढ़, देवीपाटन, बस्ती।
7. जिलाधिकारी, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, संतकबीरनगर व सिद्धार्थनगर।
8. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9. निदेशक, सी0 एण्ड डी0एस0, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
10. संबंधित नगरीय निकाय, उत्तर प्रदेश।
11. सहायक वेबमास्टर, सूडा को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एच0पी0 सिंह)

विशेष सचिव।